



आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली
कार्मिक विभाग

सं. E/NG-III/MCF/RBL/Prom/Tech-III/Elect (Copy)

दिनांक : 30.12.2021

कार्यालय आदेश संख्या:-367 / 2021

विषय:- आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली के विद्युत विभाग में 50% विभागीय पदोन्नति कोटा के अन्तर्गत हेल्पर/विद्युत (वेतन लेवल 1) से तकनीशियन-III/विद्युत (वेतन लेवल 2) के पद पर पदोन्नति के संबंध में।

संदर्भ:- इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र, दिनांक 27.11.2021.

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली के विद्युत विभाग में 50% पदोन्नति कोटा के अन्तर्गत तकनीशियन-III/विद्युत (वेतन लेवल 02) के 14 रिक्त पदों (UR-11,SC-02,ST-01) पर पदोन्नति हेतु ट्रेड टेस्ट का परिणाम घोषित किया गया है।

अतः निम्न कर्मचारियों को आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली के विद्युत विभाग में तक.-III (वेतन लेवल-2) के वर्तमान रिक्तियों पर, हेल्पर (वेतन लेवल-1) से तक.-III (वेतन लेवल-02) के पद पर तत्काल प्रभाव से पदोन्नत करते हुए प्रधान मुख्य विद्युत अभियंता के अधीन पदस्थ किया जाता है:-

S. N.	Emp. No	Name of Employees (S/Sri)	Cat.	Deptt.	Present Post in Level-1	Promoted as in Level-2
1	52000241298	MAHENDRA SINGH	OBC	Elect.	Helper	Tech-III
2	504NPS06533	DEEPENDRA KUMAR	OBC	Elect.	Helper	Tech-III
3	25090502164	VINAY KUMAR YADAV	OBC	Elect.	Helper	Tech-III


यदि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध डी.एण्ड.ए.आर. एवं विजिलेन्स से संबंधित कोई कार्यवाही लंबित हो या प्रक्षेपित हो जिसके लंबित या प्रक्षेपित होने पर कर्मचारी को पदोन्नत नहीं किया जा सकता है, तो उक्त संबंध में अधोहस्ताक्षरी को तत्काल सूचित करें।

“This panel/promotion is provisional and subject to the outcome of the main SLPs and contempt petition (C) No. 314/2016 in SLP(C) No. 4831/2012- Samta Andolan Samiti through its President vs Sanjay Kothari & Ors and any other cases pending in any court of law on the subject panel/promotion.”

यदि उपरोक्त कर्मचारियों को पहले से ही संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के तहत उच्चतर वेतनमान का लाभ प्राप्त हो चुका है तो इन्हें उपरोक्त पदोन्नति की स्थिति में वेतन निर्धारण का लाभ दोबारा प्रदान नहीं किया जायेगा।

संबंधित कर्मचारी अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट एवं पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के संबंध में विकल्प (एक माह के अंदर) अपने नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को भेजें।

इसे सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।


सहायक कार्मिक अधिकारी/स्टाफ
कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रधान मुख्य विद्युत अभियंता/आरेडिका/रायबरेली।
2. सचिव महाप्रबंधक/आरेडिका/रायबरेली, उप वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी।
3. उप मुख्य विद्युत अभियंता, उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/आरेडिका/रायबरेली।
4. लाईजन अधिकारी/आरेडिका/रायबरेली।
5. PS TO PCPO., एमसीएफ/आरबीएल: कृपया एमसीएफ/आरबीएल के मोबाइल एप्स/वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. महासचिव/ए आई आर एफ/एन एफ आई आर/एस सी एस टी एसोशिएशन/ओ बी सी एसोशिएशन/बी एम एस/आरेडिका/रायबरेली।
7. मु. का. अधी.(वेतन), मु. का. अधी./एनजी-1, मुख्य कार्यालय अधीक्षक/पास एवं पीटीओ संबंधित केंद्र डीलर, एम पी पी सेल, संबंधित कल्याण निरीक्षक/ कार्मिक शाखा।
8. सभी नोटिस बोर्ड, संबंधित कर्मचारी।

